इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

असाधारण आम सभा की सूचना
मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018
पूर्वाह्न 10.30 बजे

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
TUESDAY, 18th SEPTEMBER, 2018
10.30. A.M.

प्रधान कार्यालय: 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता –700 001

वेबसाइट : http://www.allahabadbank.in

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata -700 001

Website : http://www.allahabadbank.in

Har kadam aap ke saath

इलाहाबाद बैंक

Allahabad Bank

प्रधान कार्यालय: 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता –700 001

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata -700 001

IMPORTANT DATES

असाधारण आम सभा की तिथि, समय और स्थान Date, time and place of Extraordinary General Meeting	मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700027 Tuesday, the 18th September, 2018 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027
सभा की कार्यसूची के मद पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए नियत तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda item of the meeting.	मंगलवार, 11 सितम्बर, 2018 (कार्य समय की समाप्ति) Tuesday, the 11th September, 2018 (Close of business hour)
प्रॉक्सी फार्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करने के लिए संकल्प(पों) की प्रति प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form and copy of resolution(s) for appointing authorized representative(s)	बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018, अपराह्न 5.00 बजे तक Upto 5.00 p.m. on Thursday, the 13th September, 2018.
रिमोट ई–वोटिंग Remote e-voting	शनिवार, 15 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सोमवार 17 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक, From 10.00 a.m. on Saturday, the 15th September, 2018 to 5.00 p.m. on Monday the 17th September, 2018

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय: 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता –700 001

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा मंगलवार, 18 सितम्बर,2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडीटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700027 में निम्नांकित व्यवसाय के निमित्त आयोजित की जाएगी :

यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर रु. 35.99 (रुपये पैंतीस एवं पैसे निन्यानबे मात्र) के प्रीमियम सहित, रु. 45.99 (रुपये पैतालिस एवं पैसे निन्यानबे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, रु.10/– (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 38,92,15,046 (अड़तीस करोड़ बयानबे लाख पंद्रह हजार छियालिस) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल रु.1790.00 करोड़ (रुपये एक हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन(नों) सहित या रहित, निम्नांकित को **विशेष संकल्प(पों)** के बतौर पारित किए जाने हेतु विचारार्थ:

यह संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "योजना" कहा गया है) एवं इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), एवं / अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिस पर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो एवं यथासंशोधित,सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संगत प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 एवं स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीबद्धता करार के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जाने वाली समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है) को यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर रु. 35.99 (रुपये पैंतीस एवं पैसे निन्यानबे मात्र) के प्रीमियम सहित, रु. 45.99 (रुपये पैतालिस एवं पैसे निन्यानबे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, रु.10/– (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 38,92,15,046 (अड़तीस करोड़ बयानबे लाख पंद्रह हजार छियालिस) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल रु.1790.00 करोड़ (रुपये एक हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु बैंक के निदेशक मंडल को शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्द्वारा दी जाती है।

''**यह भी संकल्प लिया जाता है** कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि **शुक्रवार, 17 अगस्त, 2018 है।''**

''**यह भी संकल्प लिया जाता है** कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा निर्गम, आबंटन और उसकी सूचीबद्धता हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथा सहमत, को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।''

ALL AHABAD BANK

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Tuesday, the 18th September, 2018 at 10.30 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027, to transact the following business:

To create, offer, issue and allot upto 38,92,15,046 (Thirty eight crore ninety two lakh fifteen thousand forty six) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹45.99 (Rupees forty five and paise ninety nine only) per equity share including a premium of ₹35.99 (Rupees thirty five and paise ninety nine only) per equity share determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹1790.00 crore (Rupees one thousand seven hundred ninety crore only) on preferential basis to the Government of India (President of India) and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as **Special Resolution(s)**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 {SEBI (ICDR) Regulations}, as amended and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto 38,92,15,046 (Thirty eight crore ninety two lakh fifteen thousand forty six) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹45.99 (Rupees forty five and paise ninety nine only) per equity share including a premium of ₹35.99 (Rupees thirty five and paise ninety nine only) per equity share determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹1790.00 crore (Rupees one thousand seven hundred ninety crore only) on preferential basis to the Government of India (President of India)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is **Friday, 17th August, 2018**."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुसार अधिमानी आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर डिमैटिरियलाइज्ड रूप में तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के चैप्टर VII के तहत वर्णित अवरूद्धता (लॉक–इन) अपेक्षाओं के अधीन जारी किए जाएंगे तथा हर दृष्टि से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों (लाभांश सहित) के समकक्ष होंगे।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल, इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसे आवश्यक, वाँछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात, जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वाँछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशकों में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(एन.के. साहू)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : कोलकाता
तारीख : 20 अगस्त , 2018

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to Lock-in requirements prescribed under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall rank *pari passu* in all respect (including dividends) with the existing equity shares of the Bank.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it to the Managing Director & CEO or in his/her absence to any of the Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors

Place : Kolkata
Date : 20th August, 2018

(N. K. Sahoo)
Executive Director

नोट्स :

1. **व्याख्यात्मक विवरण:**

   सभा के व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है और इसका भाग है।

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति:**

   सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से सभा में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु यह बैंक के शेयर और बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, एन. एस. रोड, कोलकाता – 700001 में सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरूवार, 13 सितम्बर, 2018 को कार्य समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999 के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

   कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक सभा में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, बैंक के शेयर और बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता–700001 में सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरूवार, 13 सितम्बर, 2018 को कार्य समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त न हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. **उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेशपत्र:**

   शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश–पत्र नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी(यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे सभा स्थल पर प्रस्तुत कर दें।

5. **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट के साथ पत्राचार:**

   भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, अंतरण/ट्रांसमिशन हेतु अनुरोध करने और लाभांश भुगतान से संबंधित मामलों के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेण्ट को निम्न पते पर संपर्क करें।

   सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.
   (यूनिट: इलाहाबाद बैंक)
   पी–22 बंडेल रोड, कोलकाता–700019
   टेली: 033–40116700, 22806692, 22870263
   फैक्स: 033–40116739
   ईमेल: rta@cbmsl.com, वेबसाइट: www.cbmsl.com.

   शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीफओ इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता – 700 001 दूरभाष : 033–22107680 फैक्स : 033–22420945 ई–मेल :-gmfa@allahabadbank.in	मुख्य प्रबंधक (कंपनी सचिव) एवं अनुपालन अधिकारी निवेशक सेवा कक्ष शेयर एवं बांड विभाग इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड,कोलकाता – 700 001 दूरभाष : 033–22420878 फैक्स : 033–22623279 ई–मेल :investors.grievance@allahabadbank.in

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT (S):**

   The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/ her, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received at Shares and Bonds Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Thursday, the 13th September, 2018. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at Shares and Bonds Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Thursday, the 13th September, 2018. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

4. **ATTENDANCE SLIP-CUM- ENTRY PASS :**

   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum- Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholder (s) / Proxy (ies) / Authorized Representative (s) are requested to fill in and affix their signature (s) at the space provided therein and surrender the same at the venue.

5. **COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT :**

   The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s), ECS Mandate etc. at the following address:-

   CB Management Services (P) Ltd. (Unit: Allahabad Bank),
   P-22, Bondel Road, Kolkata-700019,
   Phone No. : 033-40116700, 22806692, 22870263
   Fax : 033-40116739,
   E-mail : rta@cbmsl.com, website : www.cbmsl.com.

   In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up an Investors' Services Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager (F&A), CFO Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001 Telephone No. -033-22107680 Fax No.-033- 22420945 E-mail-gmfa@allahabadbank.in	The Chief Manager (Company Secretary) and Compliance Officer Investors' Services Cell Shares and Bonds Department Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No.: 033-22420878 Fax No.: 033- 22623279 Email: investors.grievance@allahabadbank.in

6. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार का प्रयोग:

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार बैठक में उपस्थित होने और वोट डालने के हकदार शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थ स्वामियों के मताधिकारों की गणना उनके द्वारा यथास्थिति 11.09.2018 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित तिथि) को धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी।

ई-वोटिंग मंच उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

7. ई-वोटिंग हेतु संवीक्षक:

बैंक ने ई-वोटिंग की प्रक्रिया समुचित रूप से और पारदर्शिता से संचालित करने हेतु मेसर्स एसजीएस एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

8. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति:

- शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार 11 सितम्बर, 2018 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि) को यथास्थिति बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के समानुपात में होंगे।
- वोटिंग अवधि, शनिवार, 15 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 से आरंभ होगी और सोमवार 17 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को एनएसडीएल द्वारा डिसेबल कर दिया जाएगा।
- यदि आप ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रानिक रूप से वोट देने हेतु दो चरण निम्नानुसार है:

चरण 1 : एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्रणाली में https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉग इन करे।

चरण 2 : एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट डालें।

चरण 1 संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग में कैसे लॉगइन करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर अथवा मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली में होम पेज खुलने पर "लॉगइन" आइकॉन पर क्लिक करें जो "शेयरहोल्डर्स" सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दर्शाया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होगा।

   विकल्प के तौर पर यदि आप एनएसडीएल ईसर्विसेज अर्थात आईडीईएएस हेतु पंजीकृत है तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगइन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगइन कर सकते हैं। अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में एक बार लॉगइन होने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात इलैक्ट्रानिक रूप से वोट डालने की प्रक्रिया कर सकते हैं। .
4. आपके यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरधारिता का स्वरूप अर्थात डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा भौतिक		आपका यूजर आई डी विवरण
क)	एनएसडीएल में डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों हेतु	8 करेक्टर का डीपी आईडी उसके बाद 8 अंक का क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** तो आपका यूजरआईडी IN300***12****** है।.

6. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional. The voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 11.09.2018 (Cut-off date fixed for the purpose).

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) as agency for providing the e-voting platform.

7. SCRUTINIZER FOR E-VOTING:

The Bank has appointed M/s SGS Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting at EGM process in a fair and transparent manner.

8. PROCESS AND MANNER FOR REMOTE E-VOTING:

- The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on 11th September, 2018 (Cut-off Date fixed for the purpose).
- The voting period will commence at 10.00 a.m. on Saturday, the 15th September, 2018 and will end at 5.00 p.m. on Monday, 17th September, 2018. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- The detail process are as under:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-into NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholders’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Details regarding your User ID are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical		Your User ID details
a)	For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.

ख)	सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों हेतु	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपका यूजर आईडी 12************** है।
ग)	भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों हेतु	इवेन संख्या उसके बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि आपि फोलियो संख्या 001*** है और इवेन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. आपका पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

   क) यदि आप ई–वोटिंग हेतु पहले से पंजीकृत हैं तो आप लॉगइन हेतु अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पहले सूचित किए गए आरंभिक पासवर्ड को रिट्राइव करना होगा। एक बार आपका आरंभिक पासवर्ड रिट्राइव करने पर आपको आरंभिक पासवर्ड डालने की आवश्यकता होगी और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   ग) अपने आरंभिक पासवर्ड को कैसे रिट्राइव करें?

      (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी में पंजीकृत है तो आपका आरंभिक पासवर्ड आपको आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट खोलें अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने पर आपका पासवर्ड एनएसडीएल खाते हेतु 8 अंकों का क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते हेतु अंतिम आठ अंकों का क्लाइंट आईडी और भौतिक रूप में धारित शेयरों हेतु फोलियो संख्या होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और आरंभिक पासवर्ड शामिल है।

      (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो आपका आरंभिक पासवर्ड आपके डाक के पते पर सूचित किया जाएगा। .

6. यदि आप रिट्राइव करने में असमर्थ हैं अथवा आरंभिक पासवर्ड नहीं मिला है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं, www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

   ख) Physical User Reset Password?" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर रखते हैं)। www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

   ग) यदि आप फिर भी उपर्युक्त दोनों विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आप अपना डीमैट खाता सं./फोलियो संख्या, आपका पैन, आपका नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद चेक बॉक्स सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री पर टिक करें।

8. अब आपको लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।

9. लॉगइन बटन पर क्लिक करने के बाद ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा

चरण 2 संबंधी विवरण निम्नानुसार है:

एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें ?

1. चरण 1 में सफल लॉगइन के बाद आप ई–वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई–वोटिंग पर क्लिक करें फिर एक्टिव वोटिंग साइकल पर क्लिक करें।

2. एक्टिव वोटिंग साइकल पर क्लिक करने के बाद सभी कंपनियों का "EVEN" देख पाएंगे जिन कंपनियों में आपके शेयर हैं और जिनके वोटिंग साइकल सक्रिय स्थिति में हैं।

3. वोट देने के लिए इलाहाबाद बैंक का "EVEN" सेलेक्टे करें।

4. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुला है।

b)	For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c)	For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Details regarding your password are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting.Click on e-Voting. Then click on Active Voting Cycles.

2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.

3. Select "EVEN" of Allahabad Bank to cast your vote.

4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

5. समुचित विकल्प अर्थात assent or dissent, verify/modify शेयरों की संख्या जिनके लिए आप वोट देना चाहते हैं, का चयन कर वोट डालें और "Submit" पर तथा "कन्फर्म" पर भी क्लिक करें।

6. कन्फर्मेशन होने पर ''वोट कास्ट सक्सेसफुली'' संदेश दिखाई देगा।

7. कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आप दिए गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

8. यदि आपने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया तो आपको अपने वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

9. कन्फर्मेशन होने पर ''वोट कास्ट सक्सेसफुली'' संदेश दिखाई देगा।

शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फार्मेट) के साथ वोट करने हेतु प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) का विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से sgsdel@gmail.com पर भेजेंगे और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेजेंगें।

2. यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने हेतु पांच बार विफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगइन डिसेबल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पासवर्ड रीसेट करने हेतु आपको www.evoting.nsdl.com में उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाने की आवश्यकता होगी।

3. किसी प्रकार की शंका हेतु आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) और शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ लें अथवा टॉल फ्री सं. 1800-222-990 पर काल करें या evoting@nsdl.co.in में अनुरोध भेजें।

9. इजीएम स्थल पर वोटिंग

रिमोट ई-वोटिंग के अतिरिक्त, बैंक कार्यसूची मद के संबंध में सभा स्थल पर मतदान कराएगा। असाधारण आम सभा स्थल में उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। तथापि, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है वे सभा स्थल पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

सभा स्थल पर मतदान एवं रिमोट ई-वोटिंग का संकलित परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और स्टाक एक्सचेंजों एवं एनएसडीएल को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

एन. के. साहू

(एन के. साहू)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20 अगस्त, 2018

व्यााख्यात्माक विवरण:

भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी किया जाना :

1. **अधिमानी इश्यू का उद्देश्य :**

(ए) बासेल III के मानदण्डों के अनुपालनार्थ, बैंक को अपनी पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता है। उगाही गई पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाकर बासेल III मानदण्डों के तहत नियत पूंजी आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए किया जाएगा।

(बी) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 18.07.2018 के अपने पत्र सं एफ.सं. 7/38/2014-बीओए के माध्यम से इलाहाबाद बैंक में अधिमानी आबंटन में केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार की निवेश योजना के अंतर्गत रु.1790.00 करोड़ (रुपये एक हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) निर्गत करने के भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में सूचित किया है। अत: समस्त अधिमानी इश्यू, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)-बैंक के प्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा सबस्क्राइब किया जाएगा।

5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
6. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
9. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail at sgsdel@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in also.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in

9. VOTING AT THE EGM:

Besides remote e-voting, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item at the venue. The shareholder(s)/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process to be held at the EGM Venue. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges and NSDL.

By order of the Board of Directors

Place : Kolkata
Date : 20th August, 2018

(N. K. Sahoo)
Executive Director

EXPLANATORY STATEMENT:

Issuance of Equity Shares to Government of India (President of India) on preferential basis:

1. **Objects of the Preferential Issue:**
   (a) To comply with the BASEL-III norms, the Bank needs additional capital to meet its capital adequacy requirements. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy ratio of the Bank to meet regulatory capital requirements stipulated under BASEL-III norms.
   (b) The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their letter No. F.No. 7/38/2014-BOA dated 18.07.2018 has conveyed the sanction of the President of India for release of ₹1790.00 crore (Rupees one thousand seven hundred ninety crore only) in Allahabad Bank towards contribution of the Central Government in the Preferential Allotment of equity shares of the Bank in the financial year 2018-19 under plan as Government’s Investment. As such the entire preferential issue will be subscribed by the Government of India (President of India) – the Promoter of the Bank.

(सी) शेयरधारक नोट करें कि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के प्रवर्तक ने पहले ही दिनांक 23.07.2018 को रु.1790.00 करोड़ (रुपये एक हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) के शेयर आवेदन राशि को विप्रेषित कर दिया है। बैंक ने जिसे शेयर आवेदन राशि खाते में रखा है तथा भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को शेयरों का आबंटन इस संदर्भ में अपेक्षित सभी सांविधिक/नियामकीय अनुमोदनों के पश्चात किया जायेगा।

2. **इश्यू मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु संगत तिथि 17 अगस्त, 2018 है।**

3. इश्यू मूल्य का निर्धारण सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के अध्याय VII, अद्यतन यथासंशोधित, में यथावर्णित अधिमानी इश्यू हेतु यथा प्रयोज्य विनियम के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

4. **इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूपः**

क्र. सं.	**श्रेणी**	**इश्यू पूर्व**		**इश्यू पश्चात**	
		शेयर की संख्या	**शेयरधारिता का प्रतिशत**	**शेयर की संख्या**	**शेयरधारिता का प्रतिशत (%)**
ए	**प्रोमोटर की धारिता (भारत सरकार)**	757466441	71.81	1146681487	79.41
बी	**गैर प्रोमोटर की धारिता (पब्लिक)**	297311223	28.19	297311223	20.59
	कुल	**1054777664**	**100.00**	**1443992710**	**100.00**

5. बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में यथा वर्णित निर्धारित समय सीमा के अन्दर इश्यू संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

6. चूंकि समस्त इश्यू भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक तथा बैंक के प्रोमोटर को जारी किया जाएगा, अत: नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7. भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

	शेयर की संख्या	**चुकता पूंजी का प्रतिशत (%)**
इश्यू पूर्व	**757466441**	**71.81**
इश्यू पश्चात	**1146681487**	**79.41**

8. भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के प्रमोटर की निर्गम पश्चात शेयरधारिता बढ़कर 79.41% हो जाएगी और इस प्रकार बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता घटकर 20.59% हो जाएगी। दिनांक 03 अगस्त, 2018 की गजट अधिसूचना के द्वारा संशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के प्रावधानो के अनुसार बैंक से अपेक्षित होगा कि वह सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से ऐसी कमी से दो वर्षों की अवधि के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम 25.00% कर ले।

9. चूंकि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), वित्तीय वर्ष में 5.00% से अधिक बैंक के शेयर अर्जित करेगी, अतः यदि अपेक्षित हो, बैंक सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 3(2) की प्रयोज्यता से छूट की मांग करते हुए सेबी को आवेदन करेगा और ऐसे अनुमोदन, यदि कोई है, के प्राप्त होने के बाद ही आबंटन किया जाएगा।

10. बैंक के इक्विटी शेयर छब्बीस सप्ताह से अधिक हेतु सूचीबद्ध रहें हैं और तदनुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

11. भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित मौजूदा इक्विटी शेयर, संदर्भित तिथि से स्टॉक एक्सचेज द्वारा ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से छः माह तक अवरुद्ध रहेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को जारी किए गए सभी नए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्षो तक अवरुद्ध रहेंगे।

(c) Shareholders may note that the Government of India (President of India), the promoter of the Bank has already remitted an amount of ₹1790.00 crore (Rupees one thousand seven hundred ninety crore only) on 23.07.2018 as Share Application Money. The Bank is maintaining the same in the "Share Application Money Account", and will allot the shares to Government of India (President of India) after receipt of all requisite Statutory/Regulatory approvals in this regard.

2. **The Relevant Date for ascertaining the Issue Price is 17th August, 2018.**

3. The Issue Price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended upto date.

4. **Shareholding Pattern before and after the Issue:**

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	Percentage of share holding (%)	No. of Shares	Percentage of share holding (%)
A	**Promoter's Holding**	757466441	71.81	1146681487	79.41
B	**Non-Promoter Holding (Public)**	297311223	28.19	297311223	20.59
	Total	**1054777664**	**100.00**	**1443992710**	**100.00**

5. The Bank will endeavour to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

6. As the entire issue is being made to the Government of India (President of India), the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control.

7. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (President of India) would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Paid up Capital (%)
Pre-issue	**757466441**	**71.81**
Post-issue	**1146681487**	**79.41**

8. The post issue shareholding of the Government of India (President of India), the promoter of the Bank will rise to 79.41% and as such the Public Shareholding in the Bank will come down to 20.59%. In terms of the provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 amended vide gazette notification dated 03rd August, 2018, the Bank shall be required to increase its public shareholding to atleast 25.00% within a period of two years from such fall, in the manner specified by SEBI.

9. As the Government of India (President of India) will be acquiring more than 5.00% shares of the Bank in a financial year, if required, the Bank would be making an application to SEBI on behalf of the Government of India, seeking exemption from applicability of Regulation 3 (2) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and allotment would be made only after receipt of such approval, if any, from SEBI.

10. The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

11. The existing equity shares held by Government of India (President of India) shall be locked-in from the Relevant Date till six months from the date of grant of Trading Approval by the Stock Exchanges. Further, all the new equity shares issued to the Government of India (President of India) shall be locked-in for a period of three years from the date of Trading Approval.

12. सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया है कि इश्यु, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की अपेक्षाएं के अनुरूप किए जा रहे है, को असाधारण आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

13. भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीबद्धता करार एवं सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 में यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की सतत सूचीबद्धता की शर्तों का नियमित अनुपालन किया है। भारत सरकार ने संगत तिथि के पूर्व के छ: माह के दौरान बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर बेचा नहीं है।

14. सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 41(4) के अनुरूप, किसी प्रतिभूति के आबंटन के लिये शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है, यदि उन्हें उस प्रतिभूति का आबंटन अनुपातिक आधार पर नहीं किया जाता है।

15. बैंक, यथासंशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयर के मूल्य की, जहां आवश्यक हो, पुनर्सगणना करने का वचन देता है।

16. बैंक यह वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनर्सगणना के कारण देय राशि का भुगतान सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिभूतियों को उस समय तक अवरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी राशि का आबंटिती द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

निदेशक मंडल सूचना की कार्यसूची मद में यथा वर्णित विशेष संकल्प(पों) को आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।

निदेशकों तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारियों का हित :

बैंक के किसी भी निदेशक तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का अपने संबंधियों सहित उपर्युक्त संकल्प(संकल्पों) में हित अथवा संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

एन. के. साहू

(एन के. साहू)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20 अगस्त, 2018

12. The Certificate issued by the Statutory Central Auditor (s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

13. All the shares held by the Government of India (President of India) are in dematerialized form and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and/or Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity share of the Bank during the six months preceding the relevant date.

14. Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

15. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, where it is required to do so.

16. The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution (s) as set out in the Agenda Item of the Notice.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS:

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

By order of the Board of Directors

(N. K. Sahoo)
Executive Director

Place : Kolkata
Date : 20th August, 2018

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

उपस्थिति पर्ची

(असाधारण सभा स्थल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

दिन एवं तारीख: मंगलवार,18 सितम्बर, 2018

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडीटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700027

मैं एतदद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

शेयरधारक(कों)/ प्रॉक्सी(यों) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही नमूना हस्ताक्षर करें जो शेयरधारकों के रजिस्टर प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने वाले लिखित में पंजीकृत हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(असाधारण आम सभा के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थिति शेयरधारक/प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

नोट : 1. बैठक के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

2. जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं वे असाधारण आम सभा स्थल पर वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the Extraordinary General Meeting venue)

Day & Date: Tuesday, 18th September, 2018

Time : 10.30 a.m.

Place: Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank:-

Signature of the Shareholder/Proxy/ Authorized Representative Present	
Regd. Folio No. /DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Shareholder(s)/Proxy (ies)/ Authorized Representative (s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the register of shareholders/ Instrument appointing Proxy/Authorized Representative), along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance of the venue of the meeting.

ALLAHABAD BANK

Entry Pass

(To be retained throughout the Extraordinary General Meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Authorized Representative Present	
Regd. Folio No. /DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Note: 1. No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

2. Shareholders who have already cast their vote through remote e-voting are not entitled to vote at the venue of the EGM.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता–700 001

फार्म ''बी''

परोक्षी (प्रॉक्सी) हेतु फार्म

(शेयरधारक/सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

रजिस्टर्ड फोलियो नं. डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी ....

मैं/हम .... राज्य के .... जिले में स्थित .... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा .... राज्य के .... जिले में स्थित .... का/के निवासी श्री/श्रीमती .... को अथवा उसकी अनुपस्थिति में .... राज्य के .... जिले में स्थित .... का/के निवासी श्री/श्रीमती .... को 18.09.2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700 027 में आयोजित इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

इस पर..........................2018 के.......................दिन हस्ताक्षर किये।

कृपया एक रुपए की रसीदी टिकट चिपकाएं

....

परोक्षी के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम..

पता ....

....

....

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध होगी
   (क) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में उसके द्वारा अथवा विधिवत रूप से प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   (ख) जब संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके /उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   (ग) किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. जस परोक्षी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
   (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरुवार, 13 सितम्बर, 2018 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे या उससे पहले शेयर एवं बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
5. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
6. बैंक में जमा किया गया परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा।
7. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
8. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित हो। .
9. इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म – 'बी' पर न हो।

नोट– नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में कार्यसूची मदों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

Form "B"

Form for Proxy

(To be filled in and signed by the shareholder/member)

Regd. Folio No./ DPID & Client ID ....

I/We .... resident/s of ....in the district of ....in the state of .... being a share holder/s of Allahabad Bank, hereby appoint Shri/Smt.. .... resident of .... in the district of .... or failing him/her. Shri/Smt .... resident of ....in the district of .... in the state of .... as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on 18.09.2018 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this ....day of 2018

Please affix One Rupee Revenue Stamp

....

Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name ....

Address..

....

....

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
   - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing.
   - (b) in case a joint holder, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
   - (c) in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
   - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   - (b) a copy of that power of Attorney or Authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Shares and Bonds Department, Head Office of Allahabad Bank, not later than FOUR Days before the date of Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 p.m. on Thursday, the 13th September, 2018.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

Note: The proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting on the Agenda item of meeting.

असाधारण आम सभा
मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018
मार्ग मानचित्र

Extraordinary General Meeting
Tuesday, the 18th September, 2018
Route Map

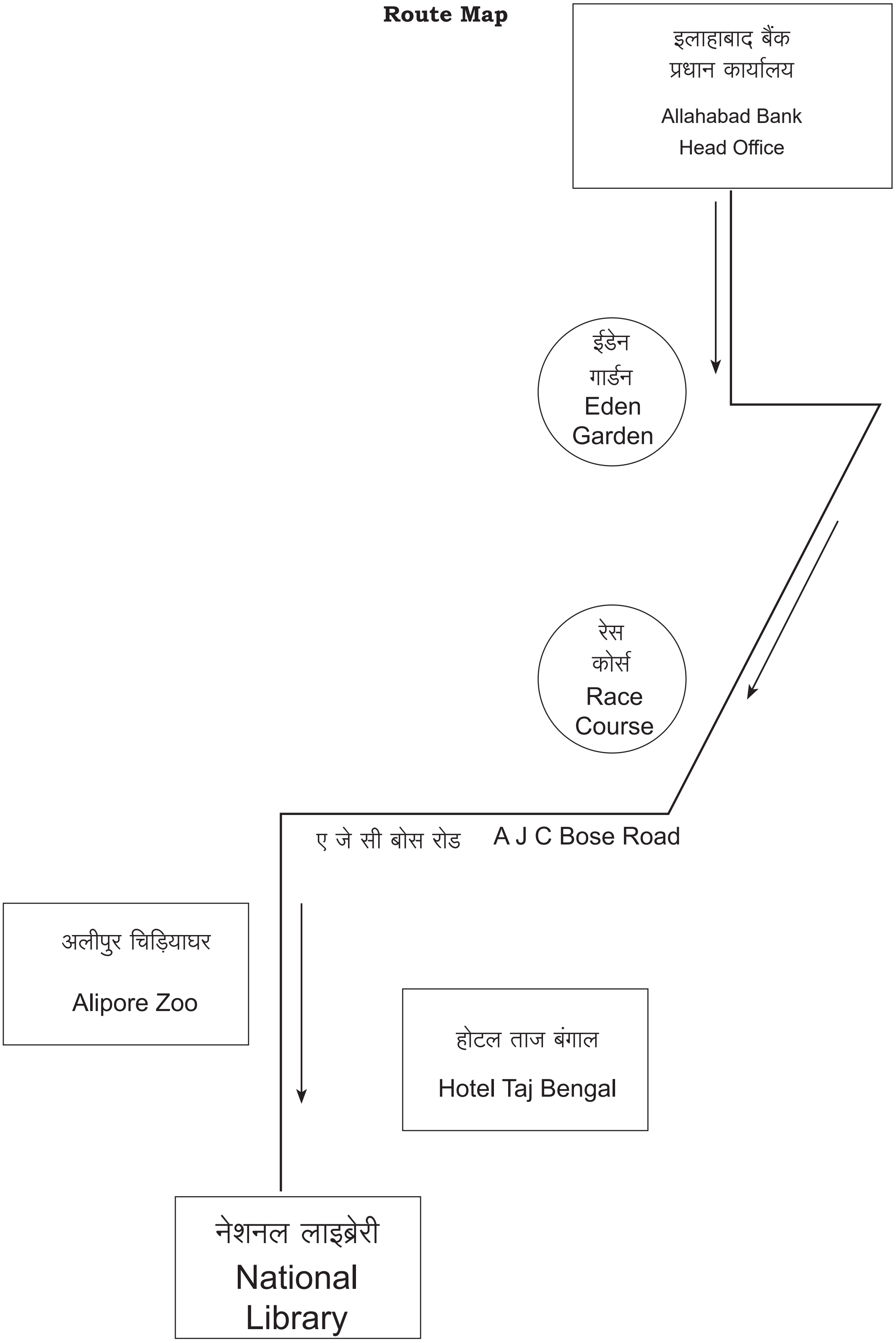

इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

Har kadam aap ke saath